ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में

(छेड़छाड़ और बलात्कार के विषय में)

रूपन देउल बजाज तथा के.पी.एस. गिल के मुक़दमे का हाल का फ़ैसला एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। भारतीय महिला आन्दोलन के लिए अहम जीत है। इससे यह भी साबित होता है कि बरसों की कोशिशों के बाद मानवीय अधिकारों की गूंज अदालतों तक पहुंची है।

मुक़दमे के तथ्य

18 जुलाई, 1988 को चंडीगढ़ में एक औपचारिक दावत थी। जहां पंजाब पुलिस के महानिदेशक गिल और उच्च प्रशासनिक अधिकारी रूपन मौजूद थे। रूपन ने गिल पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूपन के साथ यौन छेड़छाड़ की। अगले दिन रूपन तथा उनके पति ने सरकार से गिल के बर्ताव की शिकायत की। गिल से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन इस मामले को किसी ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। रूपन ने पुलिस में गिल के व्यवहार की शिकायत दर्ज़ कराई। पंजाब सरकार ने रपट को दबा दिया। दस साल के संघर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गिल के ख़िलाफ़ कार्यवाही शुरू हुई।

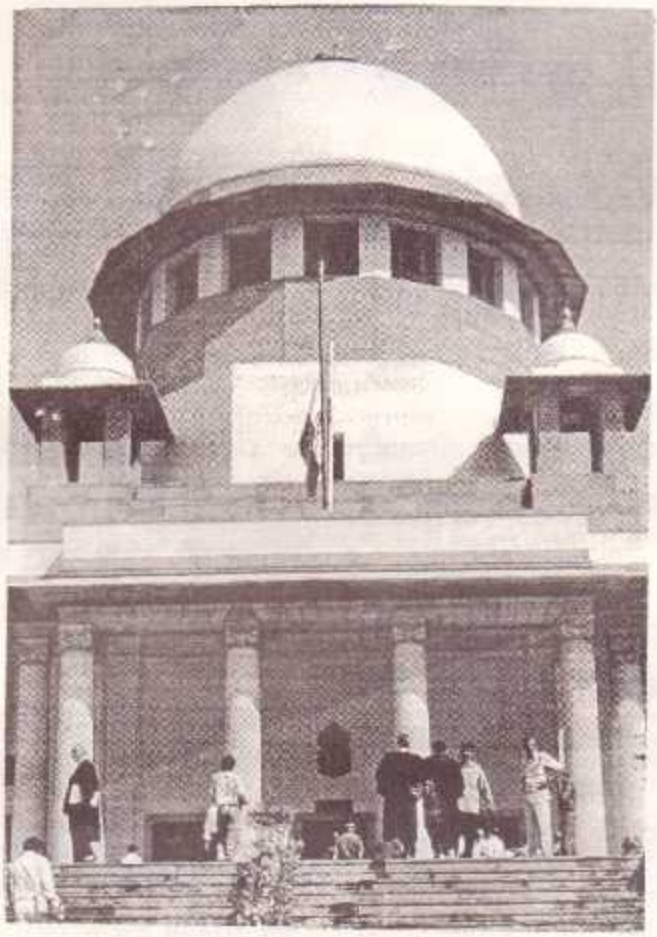

आठ महीने की अदालती कार्यवाही के बाद न्यायाधीश दर्शन सिंह ने अपना फ़ैसला सुनाया। गिल को धारा 354 (शील हनन) के तहत तथा धारा 509 (ज़ोर या धमकी का इस्तेमाल तथा महिला के अपमान के लिए यौनिक संकेतों का इस्तेमाल) के तहत दोषी करार दिया।

सजा-धारा 354 के तहत तीन महीने की सश्रम क़ैद और 500 रुपये जुर्माना। धारा 509 के तहत दो महीने की सामान्य क़ैद और 200 रुपये जुर्माना। गिल को इस फ़ैसले के खिलाफ़ अपील करने की आज्ञा थी।

आठ साल का इतिहास

शुरू से इस मामले के प्रति लोगों का रवैया मज़ाकिया था। अधिकांश मर्दों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा ओछा व्यवहार माना,

लेकिन जुर्म कदापि नहीं। इसकी सज़ा के तौर पर भी माफी मांगना पर्याप्त समझा गया। क़ैद की सज़ा का यह फ़ैसला लोगों को चकित कर गया। ख़ासतौर पर संचार माध्यमों के लेखों और संपादकीयों में इस पर टिप्पणी की गई। इस सारी प्रतिक्रिया के पीछे एक बात मुख्य थी। गिल जैसे व्यक्ति को क़ैद कैसे दी जा सकती है। पंजाब में आतंकवाद को खत्म करके उसने देश की सेवा की है। वह राष्ट्र का नायक (हीरो) है।

इस मुकदमे के फ़ैसले तथा उस पर मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार करना ज़रूरी है। कुछ सम्पादकों ने अपने अख़बारों में नारीवादियों को चेतावनी भी दी। वे इस फ़ैसले को अपनी जीत समझकर खुशी से न उछलें। इस मुकदमे को मध्यवर्गीय औरतों के मुद्दे के रूप में उछाला गया।

यह भी कहा गया कि ग़रीब औरतों की कहीं अधिक गंभीर समस्याएं ध्यान देने को पड़ी हैं।

इस फ़ैसले के चलते रूपन ने सरकार की पितृसत्तात्मक सोच और परम्परा को तोड़ा है। औरत का शरीर उसका अपना है। जो बग़ैर उसकी मर्जी के कुर्बान नहीं किया जा सकता।

सोच विचार करें

यह सही है कि यह फ़ैसला औरतों की जीत है। फिर जीत को जीत क्यों न कहें। यह जीत इसलिए है कि–

- पहली बार अदालत में माना गया है कि अपने शरीर पर औरत का हक़ उसका बुनियादी मानवीय हक़ है।
- यह भी स्वीकार किया गया है कि चाहे बलात्कार हो या "कूल्हे थपथपाना" दोनों औरत की मानवीय गरिमा पर हमला हैं। उसके हक़ का हनन है। सज़ा कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन दोनों जुर्म हैं।
- यौन छेड़छाड़/शोषण भी एक राजनैतिक मुद्दा है। चाहे पति पत्नी को या पिता बेटी को या अधिकारी अपनी महिला अधीनस्थ को सताए, बात एक ही है। उसके पीछे का मुद्दा एक ही है।
- औरतें इसी बात पर आन्दोलन करती आई हैं कि यौन उत्पीड़न जुर्म है। मर्दों को यह हल्की फुल्की बात लगे पर औरतों के लिए यह एक जुर्म है जिसे अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगी।
- आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले हिंसात्मक तरीकों का दूसरा रूप है औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चूंकि उसने देश के लिए बड़ा काम किया है इसलिए औरत के साथ छेड़छाड़ को माफ किया जा सकता है।
- इसी सोच के तहत युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा किए गए बलात्कारों को नज़रअन्दाज़ किया जाता रहा है। चाहे वह श्रीलंका में भारत की शान्ति सेना हो या बागलादेश में पाकिस्तानी फौज़ें। दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान में तो इसी मकसद के लिए सैनिकों को औरतें दी जाती थीं।

यानी मेहनत करके थके हुए सैनिक के शरीर को आराम देने के लिए औरत के शरीर के इस्तेमाल को जायज़ माना जाता रहा है।

आज इस फ़ैसले के चलते रूपन ने सरकार की

पितृसत्तात्मक सोच और परम्परा को तोड़ा है। औरत का शरीर उसका अपना है। जो बगैर उसकी मर्जी के कुर्बान नहीं किया जा सकता।

उसके ख़िलाफ़ हिंसा, बुनियादी हक़ों का हनन है। इसलिए क़ानून के तहत जुर्म है।

सारांश

औरतों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा बीजिंग के कार्यवाही मंच का अहम् सरोकार है। यह मानवीय गरिमा और समानता की भावना के ख़िलाफ़ है। इसके चलते औरतें सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी नहीं कर सकतीं। यह परिवार समाज और देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा है।

रूपन और गिल के मामले को मध्यवर्गीय शहरी औरत का मामला नहीं समझा जाना चाहिए। यह हर कामकाजी औरत का मामला है। एक स्तर पर यह भंवरी के मामले से जुड़ता है। काम की जगह पर यौन शोषण को पेशेवर खतरा मानकर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुलज़िम या जिस संस्था के लिए वह काम करता है उसे हज़ानि लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। □

वीणा शिवपुरी
(वसन्था कन्नाबिरन तथा कल्पना कन्नाबिरन के अंग्रेजी लेख पर आधारित व अनुदित)

बिन मांगे कोई हक़ न मिलेगा
बिन खोले कोई दर न खुलेगा